प्रेषक,

डा० राजेश जैन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
मुरादाबाद चेरिटेबिल ट्रस्ट एण्ड
हेल्थ रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।

पत्र संख्या :- 2781/02 दिनाँक :- 25/11/02

विषयः— **मुरादाबाद चेरिटेबिल ट्रस्ट एण्ड हेल्थ रिसर्च सेन्टर द्वारा संचालित विवेकानन्द स्कूल आफ नर्सिंग, मुरादाबाद को सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण स्कूल की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।**

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र संख्या VNMC/2021 दिनाँक 02-02-9 के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 2361/5-11-02-एन(72)/2001 दिनाँक 1-09-2002 के आधार पर आपके चिकित्सालय में 30 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए एक वर्ष के लिए मान्यता/संबद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 30 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं नर्सिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि प्रतिवर्ष 1 सितम्बर होगी। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है।
2. प्रशिक्षण केन्द्र को उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तो का उल्लंघन किया जायेगा तो आपके नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/संबद्धता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।
4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगे।
5. चयन समिति में सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उनके नामित व्यक्ति चयन समिति का सदस्य होगा। साक्षात्कार तिथि की सूचना 20 दिन पूर्व इस कार्यालय में लिखित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. समाचार–पत्रों में विज्ञापन के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित् करें।समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश उ०प्र० के निवासियों का ही होगा। उ०प्र० के बाहर के अभ्यर्थियों का नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

8. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची (संलग्न प्रोफार्मा पर) शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित। प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

9. उपचारिका प्रशिक्षण प्रवेश में चयन सूची प्रकाशित करने के पूर्व चयनित छात्राओं के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियाँ भेजकर चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चहिये।

10. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी।

प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू० 5000/- इस कार्यालय में जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य स्कूल आफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।

भवदीय,

(डा० राजेश जैन)
सचिव,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी